कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र ,मीरजापुर

पत्रांक- 5818 **/मीरजापुर/** 33 **दिनांक, मीरजापुर, जून , 30 - 2017**

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ ।

विषयः— जनपद—सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे. आरक्षित वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे. आरक्षित वन भूमि कुल 127.1637 हे. आरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में ।

संदर्भः— भारत सरकार पर्यावरण एव वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, प्रचम तल, सेक्टर—एच. अलीगंज—लखनऊ का पत्र संख्या— 8बी/यू.पी./02/14/2015/एफ.सी./372 दिनांक 26.06.2015 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट के पत्रांक—3905/रेनुकूट/15, दिनांक 15.06.2017 ।

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण में आपके कार्यालय के पत्रांक—2198/11—सी—66, दिनांक 05.06.2015 के क्रम में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र के अन्तिम पैरा में उल्लेख है किः— Now in view of the Hon'ble NGT order the matter is to be examinied by the committee and proposal is to be prepared accordingly . Hence, the proposal received is returned is original for submitting revised proposal in totality .

उक्त के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा जनपद सोनभद्र में कनहर सिचाई परियोजना के मुख्य नहरों एवं प्रणालियों हेतु रेनुकूट वन प्रभाग की 103.6750 हे0 आरक्षित वन भूमि एवं ओबरा वन प्रभाग की 23.4887 हे0 आरक्षित वन भूमि कुल 127.1637 हे0 जिसमें विभिन्न प्रजाति के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। गैर वानिकी प्रयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् संशोधित प्रस्ताव जिसकी ऑन लाइन सबमिशन संख्या—FP/UP/IRRIG/20269 किया है। जिसे ऑनलाइन कर मय टाइम लाइन सहित प्रस्ताव 04 प्रतियों में मय संस्तुति सहित इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है।

अतः प्रश्नगत प्रस्ताव की इस स्तर से ऑन लाइन करते हुये मय टाइमलाइन सहित प्रस्ताव की 03 प्रतियों में संलग्नकर मय संस्तुति सहित अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक— उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(के0एम0ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

संख्या अ/समदिनांक

1. प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट व ओबरा वन प्रभाग को सन्दर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि पश्चात् मामले में किसी भी दशा में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न होने पावें ।
2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियंता, कनहर, निर्माण खण्ड, तृतीय पिपरी, सोनभद्र उ0प्र0 को सूचनार्थ प्रेषित ।

(के0एम0ठाकुर)
मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर

जमील/
E:\Setelment\setelment drafting\saptahiki.doc